रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28012026-269631
CG-DL-E-28012026-269631

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 362] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 28, 2026/माघ 8, 1947
No. 362] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 28, 2026/MAGHA 8, 1947

कृषि एव किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एव किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 23 जनवरी, 2026

का.आ. 390(अ).— केंद्रीय सरकार, उर्वरक (अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 के खंड 3 के उप- खंड (1) के अनुसरण में नीचे दी गई अनुसूची के स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट कीमत को, स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट आकार के प्रति थैले के लिए, इस अधिसूचना को जारी करने की तारीख से, ऐसी अधिकतम कीमत के रूप में नियत्त करती है, जिस पर उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में की तत्स्थानी प्रविष्टिमें विनिर्दिष्ट उर्वरकों का, चाय, काफी या रबर बागानों के उगाने वालों या खेतिहरों को डीलर, विनिर्माता, आयातकर्ता या पूल हैंडलिंग अभिकरण द्वारा विक्रय किया जाएगा :-

अनुसूची

क्र.सं.	उर्वरक का नाम	बैग का आकार	प्रति बैग अधिकतम मूल्य (रुपये में)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	सल्फर कोटेड यूरिया	40 किलोग्राम	254.00/- रुपये

***स्पष्टीकरण* 1:-** -ऊपर नियत अधिकतम कीमत में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय कर, एकीकृत कर, एकीकृत संघ राज्यक्षेत्र कर या प्रतिपाटन शुल्क, माल और सेवा कर और अन्य स्थानीय कर, जहां कहीं भी उद्गृहीत किए जाते हैं, चाहे खुदरा विक्रय बिंदु या किसी मध्यवर्ती स्तर पर, सम्मिलित नहीं है।

***स्पष्टीकरण* 2:-** जहां किसी उर्वरक का विक्रय, 25 किलोग्राम से अनधिक मात्राओं में किया जाता है, वहां डीलर उर्वरक के छोटे थैलो पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट कीमत के अतिरिक्त निम्नलिखित राशि प्रकारित कर सकेगा, अर्थात्:-

(क) 2 किलोग्राम की पैकिंग पर 1.50 रुपये प्रति पैकिंग;
(ख) 5 किलोग्राम की पैकिंग पर 2.25 रुपये प्रति पैकिंग;
(ग) 10 किलोग्राम की पैकिंग पर 3.50 रुपये प्रति पैकिंग;
(घ) 25 किलोग्राम की पैकिंग पर 5.00 रुपये प्रति पैकिंग।

[फा. सं. 1-42 /2024 एफयू (एफक्यूसी)]

फ्रैंकलिन एल खोबंग, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 23rd January, 2026

S.O. 390(E).— In pursuance of sub-clause (1) of clause 3 of the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order,1985, the Central Government hereby fixes with effect from the date of issue of this notification, the price specified in column (4) of the Schedule given below, as maximum price per bag of the size specified in column (3), at which the fertilizers specified in the corresponding entries in column (2), of said Schedule, shall be sold by a dealer, manufacturer, importer or pool handling agency to growers of tea, coffee or rubber plantations or to cultivators, namely:-

SCHEDULE

S.No.	Name of fertiliser	Bag size	Maximum price per bag (net in rupees)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sulphur Coated Urea	40 Kg	Rs 254.00/-

***Explanation* 1.-** The maximum price fixed above shall be exclusive of the central tax, integrated tax, integrated Union territory tax or countervailing duty, the Goods & Service Tax and other local tax wherever levied, whether at retail or at intermediate stages.

***Explanation* 2.-** Where the sale of any fertilizer is made in quantities not exceeding 25 kilogram, the dealer may charge the following amount on small fertilizer bags in addition to the price specified in the Schedule, namely:-

(a) on packing of 2 kg. Rs 1.50 per packing;
(b) on packing of 5 kg. Rs 2.25 per packing;
(c) on packing of 10 kg. Rs 3.50 per packing;
(d) on packing of 25 Kg. Rs 5.00 per packing.

[F. No. 1-42 /2024 FU (FQC)]

FRANKLIN L. KHOBUNG, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.01.28 22:58:33 +05'30'